AMAR UJALA BONUS

बजट 2025

INCOME TAX डायरी

AMAR UJALA BONUS

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए कमाने वाले करदाताओं को टैक्स में 80,000 रुपए का फायदा मिलेगा. 18 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति को टैक्स में 70 हजार रुपए का फायदा मिलेगा. यह मौजूदा दरों के हिसाब से कर देनदारी का 30 फीसदी है. इसी तरह, जिस शख्स की कमाई 25 लाख रुपए तक है, उसे 1,10,000 रुपए का लाभ होगा.

12 लाख तक की कमाई पर टैक्स नहीं

बोनस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

- इनकम टैक्स के मोर्चे पर बजट 2025 में बड़ी राहत
- न्यू रिजीम में 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स से छूट
- सैलरीड क्लास की 12.75 लाख तक की कमाई टैक्स से बाहर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी है. उन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स के दायरे से बाहर करने का ऐलान किया है. सैलरीड यानी नौकरीपेशा लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12 लाख 75 हजार रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. नई कर व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 75,000 रुपए है. इसके साथ ही नई कर व्यवस्था में इनकम टैक्स स्लैब में भी व्यापक स्तर पर बदलाव किया गया है. सबसे ज्यादा 30 फीसदी की टैक्स दर 24 लाख रुपए से ऊपर की कमाई पर लगेगी.

12 लाख कमाने वाले को 80,000 रुपए का फायदा

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए कमाने वाले करदाताओं को टैक्स में 80,000 रुपए का फायदा मिलेगा. 18 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति को टैक्स में 70 हजार रुपए का फायदा मिलेगा. यह मौजूदा दरों के हिसाब से कर देनदारी का 30 फीसदी है. इसी तरह, जिस शख्स की कमाई 25 लाख रुपए तक है, उसे 1,10,000 रुपए का लाभ होगा.

नई कर व्यवस्था के तहत संशोधित स्लैब इस प्रकार है

आयकर स्लैब	कर दर
4,00,000 रुपए तक की आय	कोई कर नहीं
4,00,001 से 8,00,000 रुपए	5%
8,00,001 से 12,00,000 रुपए	10%
12,00,001 से 16,00,000 रुपए	15%
16,00,001 से 20,00,000 रुपए	20%
20,00,001 से 24,00,000 रुपए	25%
24,00,001 से अधिक	30%

लोगों के हाथ में आएंगे ज्यादा पैसे, अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार

सरकार की ओर से आयकर पर दी गई छूट से मध्यम वर्ग के लोगों के पास खपत के लिए अधिक पैसे बचेंगे. साथ ही निवेश और बचत भी बढ़ेगी. वहीं, आयकर में राहत से सरकारी खजाने पर एक लाख करोड़ रुपए का बोझ आएगा. इसी प्रकार, अप्रत्यक्ष कर में 2,600 करोड़ रुपए का नुकसान होगा. दरअसल, देश में खपत खासकर शहरी इलाकों में खपत कमजोर चली हुई है. आयकर में रियायत देने से लोगों के हाथ में खर्च करने योग्य रकम बढ़ेगी. जिससे खपत को बढ़ावा मिलेगा और खपत को बढ़ावा मिलने से अर्थव्यवस्था की रफ्तार में तेजी आएगी. वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि की दर सुस्त होकर 5.4 फीसदी रह गई है. यह करीब सात तिमाही यानी करीब दो साल में सबसे धीमी वृद्धि दर है.

न्यू टैक्स रिजीम में प्रस्तावित दरें

नई टैक्स व्यवस्था में कर स्लैब की दरें निम्नलिखित हैं. 0 से 4 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स की दर शून्य है. वहीं, 4 लाख 1 रुपए से 8 लाख रुपए तक की कमाई पर 5 फीसदी, 8 लाख 1 रुपए से 12 लाख रुपए की इनकम पर 10 फीसदी, 12 लाख 1 रुपए से 16 लाख रुपए तक की कमाई पर 15 फीसदी, 16 से 20 लाख रुपए पर 20 फीसदी, 20 से 24 लाख पर 25 फीसदी और 24 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.

नई व्यवस्था के तहत पुराना कर स्लैब

आयकर स्लैब	कर दर
3,00,000 रुपए तक की आय	कोई कर नहीं
3,00,001 से 6,00,000 रुपए	5%
6,00,001 से 9,00,000 रुपए	10%
9,00,001 से 12,00,000 रुपए	15%
12,00,001 से 15,00,000 रुपए	20%
15,00,001 रुपए से अधिक आय	30%

AMAR UJALA BONUS

BUDGET 2025

किराए से कमाई पर बढ़ी TDS की सीमा

मकान मालिकों को होगा इतना फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी कई घोषणाएं की हैं. इनमें किराए से कमाई पर टीडीएस की सीमा में इजाफा, फंसे प्रोजेक्ट के लिए स्वामी फंड-2 शामिल है. जिसका असर शनिवार को रियल एस्टेट कंपनियों के शेयरों (Realty Stocks) पर भी दिखा और शेयर 9 फीसदी तक बढ़ गए हैं. इंट्रा-डे के दौरान, बीएसई पर प्रेस्टीज एस्टेट्स के शेयर 9.3 फीसद, शोभा डेवलपर्स के शेयर 4.6 फीसदी जबकि डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर 1 से 2 फीसदी तक बढ़े.

सालाना 6 लाख से ज्यादा किराए पर कटेगा टीडीएस

वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में किराए से कमाई (रेंटल इनकम) के लिए टीडीएस कटौती की सीमा को मौजूदा समय में 2 लाख 40 हजार रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए सालाना करने का प्रस्ताव किया गया है. इस कदम से उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके पास दूसरा घर या प्रॉपर्टी है और इस पर उन्हें किराए से कमाई होती है. अब 6 लाख रुपए से ज्यादा का किराया होने पर ही टीडीएस देना होगा. इससे किरायेदारों को अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढने में भी मदद मिलेगी.

जमीन के मामले में 10% टीडीएस की दर

आयकर अधिनियम की धारा 194-I के तहत, स्रोत पर कर कटौती की जिम्मेदारी किराया देने वाले की होती है. जमीन और प्रॉपर्टी के लिए 10 फीसदी जबकि प्लांट, उपकरण और मशीनरी के लिए 2 फीसदी की दर से टीडीएस काटना होता है. टीडीएस नियमों में बदलाव से अब सालाना 6 लाख रुपए यानी 50,000 रुपए महीने तक के किराए पर टीडीएस नहीं लगेगा. सरकार के इस कदम से रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा मिलेगा. मौजूदा वक्त में इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को मकान मालिक को 50 हजार रुपए महीना या उससे ज्यादा का किराया देने पर ही धारा 194IB के तहत टीडीएस काटना होता है.

- किराए की आय पर टीडीएस कटौती की सीमा बढ़ी
- 2.4 लाख की जगह 6 लाख के किराए पर टीडीएस
- मकान मालिकों और किराएदारों को होगा फायदा
- किराए से कमाई पर टीडीएस में राहत
- किराए से कमाई पर टीडीएस में राहत

स्वामी फंड-2 से मिलेगी फंसे घरों को रफ्तार

वित्त मंत्री ने रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट में एक लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के नए 'स्वामी' फंड की घोषणा की है. इस योजना का उद्देश्य उन घर खरीदारों को राहत देना है, जो सालों से अपने घर का सपना पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं और उनका निवेश भी फंसा हुआ है. केंद्र सरकार ने नवंबर, 2019 में देश में अटके पड़े घरों को पूरा करने के लिए 'स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड-इनकम हाउसिंग' (स्वामी 1) नाम से एक फंड की घोषणा की थी. स्वामी फंड-1 की सफलता के बाद स्वामी फंड-2 का ऐलान हुआ है. स्वामी फंड-1 के तहत अटकी पड़ी आवास परियोजनाओं में 50,000 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है.

एक लाख घरों का निर्माण होगा पूरा

स्वामी फंड-2 का ऐलान करते हुए सीतारमण ने कहा कि 2025 में 40,000 और घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा. कुल 15,000 करोड़ रुपए के स्वामी 2 फंड का लक्ष्य एक लाख और घरों के निर्माण में तेजी लाना है. इससे मध्यम वर्ग के परिवारों को मदद मिलेगी, जो अपना घर फंसा होने की वजह से होम लोन की ईएमआई भी भर रहे हैं, साथ ही मकान का किराया भी दे रहे हैं.

12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट से रियल एस्टेट को मिलेगा बढ़ावा

गंगा रियल्टी के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर विकास गर्ग ने केंद्रीय बजट 2025 का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) में 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगने से मध्यम वर्ग के परिवारों की खर्च करने योग्य कमाई बढ़ेगी. यह पहले बार खरीदने वालों को सशक्त बनाएगी और घर खरीदने के लिए प्रेरित करेगी. जिससे रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग बढ़ेगी. साथ ही स्वामी फंड 2 के तहत ₹15,000 करोड़ का आवंटन, अधूरी परियोजना को पूरा करने की दिशा में सराहनीय कदम है. इससे घर खरीदारों का भरोसा मजबूत होगा.

अपडेटेड आईटीआर दाखिल करने के लिए मिलेगा अब और ज्यादा समय

आम बजट में किसी भी आकलन वर्ष के लिए अपडेटेड आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है.. आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा को मौजूदा दो साल से बढ़ाकर चार साल करने का प्रस्ताव वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में रखा गया है. इसके लिए करदाताओं को अब पहले से ज्यादा टैक्स और ब्याज का भुगतान करना होगा. सीतारमण ने अपने बजट भाषण में उन मामलों में शिक्षा

के उद्देश्यों के लिए भेजे गए धन के लिए टीसीएस (स्रोत पर एकत्रित कर) की छूट का भी प्रस्ताव रखा, जहां शिक्षा ऋण कुछ निर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों से लिया गया हो. उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष कर विवादों को निपटाने के लिए लाई गई 'विवाद से विश्वास 2.0' योजना का 33,000 करदाताओं ने लाभ उठाया है. इसके अलावा, बजट में स्टार्टअप कंपनियों को अब कंपनी के गठन से पांच साल की अवधि तक कर लाभ मिलता रहेगा.

AMAR UJALA BONUS

BUDGET 2025

कर्मचारियों को मिलने वाले सभी लाभ होंगे अब वेतन का हिस्सा!, बढ़ जाएगी कर योग्य आय

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में वेतन से संबंधित अधिनियम, अनुलाभ (पर्क्स) और वेतन के बदले लाभ की परिभाषा को बदलने का प्रस्ताव रखा है. सीए अंकित गुप्ता के मुताबिक अभी तक कंपनियों द्वारा वेतन के अलावा कर्मचारियों को 50,000 रुपए तक के अनुलाभ को कर योग्य आय में शामिल नहीं किया जाता है. लेकिन नए कानून में सभी अनुलाभ को वेतन में ही शामिल करने का प्रस्ताव हो सकता है. इससे कर्मचारी की कुल कर योग्य आय बढ़ेगी. नई कर व्यवस्था में 12,75000 रुपए तक की आय भले ही कर मुक्त होगी, लेकिन वेतन के साथ अनुलाभ को जोड़ने से ज्यादातर कर्मचारी इस लाभ से वंचित हो जाएंगे. ये नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की घोषणा की गई है. हालांकि पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी का कहना है कि सरकार वेतन और अनुलाभ की परिभाषा को लेकर क्या बदलाव करने वाली है, इसकी और अधिक स्पष्टता अगले हफ्ते संसद में पेश होने वाले नए आयकर अधिनियम से आएगी.

- कर्मचारी को मिलने वाले अनुलाभ होंगे वेतन में शामिल
- एक अप्रैल 2026 से लागू होंगे नए नियम
- एक हफ्ते बाद आने वाले नए आयकर बिल से मिलेगी स्पष्टता

अनुलाभ में कंपनियों की तरफ से कर्मचारियों को सोडेक्सो, मुफ्त घर, कार, रियायती नाश्ता, भोजन, चिकित्सा सुविधा, क्लब की मेंबरशिप, लैपटॉप और अन्य उपकरण आदि शामिल होते हैं. अभी तक कर्मचारियों को अनुलाभ के तहत 50,000 रुपए तक की आय को कर रियायत के दायरे में रखा जाता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसमें बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है. हालांकि बजट भाषण में इसको लेकर कुछ विस्तार से नहीं बताया गया है. इसलिए अब अगले हफ्ते आने वाले नए आयकर अधिनियम से ही इसके बारे में विस्तार से पता चलेगा.

बढ़ जाएगी कर योग्य आय

सीए अंकित गुप्ता कहते हैं कि अगर अनुलाभ को खत्म कर कंपनी की ओर से कर्मचारी को मिलने वाले सभी लाभों को वेतन में शामिल किया जाता है, तो इससे कर्मचारी की कर योग्य आय बढ जाएगी. अभी अधिकांश कंपनियां कर्मचारियों की कर योग्य आय को कम करने के लिए कई तरह के अनुलाभ देती हैं.

नई व्यवस्था में कम दरों का नहीं मिलेगा लाभ

सीए अंकित गुप्ता का कहना है अगर नियोक्ता की ओर से कर्मचारियों को मिलने वाले सभी अनुलाभों को वेतन में जोड़ दिया जाएगा, तब कर्मचारियों को नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर शून्य कर का लाभ सीमित हो जाएगा. क्योंकि वेतन में सभी तरह के अनुलाभ जुड़ने से कर योग्य आय बढ़ जाएगी और फिर उन्हें अपने कर स्लैब के हिसाब से कर का भुगतान करना होगा. हालांकि नई आयकर व्यवस्था में कर की दरें कम हैं लेकिन उसमें 75,000 रुपए की मानक कटौती और पारिवारिक पेंशन के लिए 15,000 रुपए की कटौती की ही सुविधा मिलती है.

छह दशक पुराना कानून होगा खत्म

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर प्रावधानों के नियमन संबंधी छह दशक पुराने कानून की जगह एक सरल और हल्का नया कानून लाने की घोषणा करते हुए कहा कि इसे अगले हफ्ते पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा कि नए आयकर कानून में 'न्याय' की भावना होगी और यह 'पहले विश्वास करो, बाद में जांच करो' के सिद्धांत पर काम करेगा.

अपडेटेड आईटीआर भरने के लिए मिलेगा ज्यादा समय

वित्त मंत्री ने अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्तियों के लिए समय सीमा को भी बढ़ाकर चार साल करने का प्रस्ताव रखा है. अपडेटेड आईटीआर को वे करदाता दाखिल करते हैं जो निर्धारित समय पर अपनी सही आय की जानकारी नहीं दे पाए थे. फिलहाल ऐसे रिटर्न संबंधित कर आकलन वर्ष के दो साल के भीतर दाखिल किए जा सकते हैं. लगभग 90 लाख करदाताओं ने अतिरिक्त कर का भुगतान कर स्वेच्छा से अपने आय विवरण को अपडेट किया है.

स्रोत पर कर कटौती की सीमा बढ़ी

बेहतर स्पष्टता और एकरूपता के लिए स्रोत पर कर कटौती की सीमा बढ़ाई गई है. वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से अर्जित आय पर होने वाली कर कटौती की सीमा को मौजूदा 50,000 रुपए से दोगुना करके एक लाख रुपए कर दिया गया है. इसी तरह, किराया पर टीडीएस के लिए 2.40 लाख रुपए की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपए किया जाएगा. इससे टीडीएस के लिए उत्तरदायी लेनदेन की संख्या कम हो जाएगी, जिससे छोटे भुगतान पाने वाले करदाताओं को फायदा होगा.

मध्यम वर्ग के हाथ में होगा अधिक पैसा

वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में मध्यम वर्ग को कर बोझ और कर स्लैब के संबंध में राहत दी गई है. नई आयकर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय को आयकर से छूट दी गई है. वेतनभोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती को ध्यान में रखते हुए यह आय सीमा 12.75 लाख रुपए हो जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि नए ढांचे से मध्यम वर्ग के करों में काफी कमी आएगी और उनके हाथ में अधिक पैसा बचेगा, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा.

AMAR UJALA BONUS

BUDGET 2025

बैंक एफडी कराने वालों को फायदा, अब 40 नहीं 50 हजार रुपए पर कटेगा टीडीएस

बजट 2025 में सामान्य नागरिकों (गैर-वरिष्ठ) के लिए बैंक एफडी पर अर्जित ब्याज पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है. वर्तमान में 40 हजार रुपए और उससे अधिक की ब्याज आय पर बैंकों द्वारा टीडीएस काटा जाता है. नए प्रस्ताव के तहत एक अप्रैल 2025 से 50 हजार रुपए और उससे अधिक की ब्याज आय पर बैंकों की ओर से टीडीएस काटा जाएगा. वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा पहले से ही 50 हजार रुपए है.

क्या है टीडीएस

जब एक वित्त वर्ष में खाताधारकों को भुगतान किया गया ब्याज निर्दिष्ट सीमा से अधिक होती है, तब बैंकों को टीडीएस काटने की आवश्यकता होती है. वरिष्ठ नागरिकों और सामान्य नागरिकों के लिए यह सीमा अलग-अलग है. वर्तमान में, खाताधारक का पैन नंबर उपलब्ध होने पर बैंकों को एफडी पर दिए जाने वाले ब्याज पर 10 फीसद की दर से टीडीएस काटना होता है.

धारा 194ए में टीडीएस के लिए नीचे दी गई सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है: संस्थान मौजूदा टीडीएस सीमा प्रस्तावित टीडीएस सीमा बैंक और एनबीएफसी 40,000 रुपए 50,000 रुपए सहकारी बैंक 40,000 50,000 पोस्ट ऑफिस एफडी 40,000 50,000 अन्य मामलों में 5,000 10,000 कोऑपरेटिव सोसाएटी 40,000 50,000 स्रोत: बजट दस्तावेज

बुजुर्गों को राहत, ब्याज की कमाई पर TDS की सीमा हुई दोगुनी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपना 8वां बजट पेश किया. बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. इनमें नौकरीपेशा से लेकर पेंशनभोगी तक शामिल हैं. बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) की सीमा को बढ़ाकर दोगुना करने की घोषणा की गई है. सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) में प्रमुख बदलावों का ऐलान किया. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि टीडीएस की दरों को तर्कसंगत बनाया जा रहा है. प्रस्तावित बदलावों से टीडीएस के दायरे में आने लेन-देन कम हो जाएंगे. जिससे छोटे करदाताओं को बड़ा लाभ होगा.

बुजुर्गों के लिए टीडीएस लिमिट बढ़कर 1 लाख रुपए

बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों का ख्याल रखते हुए ब्याज पर कर कटौती की सीमा को बढ़ाया गया है. वरिष्ठ नागरिकों यानी 60 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ब्याज आय पर कर कटौती को दोगुना करके एक लाख रुपए किया जा रहा है. मौजूदा समय में यह सीमा 50,000 रुपए है. इसका मतलब है कि अभी ब्याज से कमाई 50 हजार रुपए से ज्यादा होने पर टीडीएस काटा जाता है. वित्त वर्ष 2025-26 से यह सीमा एक लाख रुपए होगी. सरकार के इस कदम से बुजुर्गों खासकर पेशनभोगियों को राहत मिल सकती है पेशनभोगी या बुजुर्ग लोग निवेश के मामले में ज्यादातर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और छोटी बचत योजनाओं पर निर्भर रहते हैं. छोटी बचत योजनाओं में मंथली इनकम स्कीम समेत अन्य शामिल हैं.

24 लाख से ऊपर की कमाई पर 30% टैक्स

मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स के मोर्चे पर सबसे बड़ी राहत मिली है. बजट में 12 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स के दायरे से बाहर करने का ऐलान किया है. वहीं, सैलरीड यानी नौकरीपेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर 12 लाख 75 हजार रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. इसके साथ ही नई कर व्यवस्था में इनकम टैक्स स्लैब में भी व्यापक बदलाव किया गया है. सबसे ज्यादा 30 फीसदी की दर 24 लाख रुपए से ऊपर की कमाई पर लगेगी.

AMAR UJALA BONUS

BUDGET 2025

निर्मला सीतारमण ने पेश किया कितने लाख करोड़ का बजट? देखें चौंकाने वाले आंकड़े

- 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट हुआ पेश
- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 16.29 लाख करोड़ रुपए
- अगले वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित कुल पूंजीगत व्यय 11.22 लाख करोड़ रुपए
- कितने लाख करोड़ का है बजट 2025? देखें चौंकाने वाले आंकड़े

- कितने लाख करोड़ का है बजट 2025? देखें चौंकाने वाले आंकड़े

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें 50,65,345 करोड़ रुपए के व्यय की परिकल्पना की गई है. यह राशि चालू वित्त वर्ष के मुकाबले 7.4 फीसदी अधिक है. वित्त वर्ष 2024-25 का व्यय (संशोधित अनुमान) 47.16 लाख करोड़ रुपए है. बजट दस्तावेजों के अनुसार, एक अप्रैल, 2025 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 5,41,850.21 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं. इसकी तुलना में चालू वित्त वर्ष के लिए यह राशि 4,15,356.25 करोड़ रुपए है.

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 16.29 लाख करोड़ रुपए

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 16.29 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जबकि 2024-25 के लिए यह 15.13 लाख करोड़ रुपए हैं. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए व्यय के बजट अनुमानों में कई कारणों से वृद्धि हुई है, जिनमें बाजार ऋण, राजकोषीय बिल, बाहरी ऋण, लघु बचत और भविष्य निधि पर ब्याज के भुगतान में वृद्धि शामिल हैं। इसके अलावा बजट में पूंजीगत व्यय सहित सशस्त्र बलों की अधिक आवश्यकताओं और रोजगार सृजन योजना के लिए अधिक प्रावधान शामिल हैं.

प्रस्तावित कुल पूंजीगत व्यय 11.22 लाख करोड़ रुपए

अगले वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित कुल पूंजीगत व्यय 11.22 लाख करोड़ रुपए और प्रभावी पूंजीगत व्यय 15.48 लाख करोड़ रुपए है. राज्यों को हस्तांतरित किए जा रहे कुल संसाधन 2025-26 के बजट में 25,01,284 करोड़ रुपए हैं, जो 2023-24 के वास्तविक आंकड़ों से 4,91,668 करोड़ रुपए अधिक है. इसमें राज्यों के हिस्से का हस्तांतरण, अनुदान/ऋण और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत जारी राशि शामिल हैं. यदि सार्वजनिक उद्यमों के संसाधनों को शामिल किया जाए, तो बजट में कुल व्यय 54.97 लाख करोड़ रुपए हो जाता है.

राजमार्ग मंत्रालय का आवंटन 2.87 लाख करोड़ रुपए

इसके अलावा देश में सड़कों के निर्माण को और गति देने के लिए सरकार ने आम बजट 2025-26 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 2,87,333.16 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं. यह राशि इससे पिछले वित्त वर्ष के 2,80,518.80 करोड़ रुपए के परिव्यय से 2.41 फीसदी अधिक है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के लिए आवंटन भी सालाना आधार पर 1,693,71 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,878,03 करोड़ रुपए कर दिया.

एनएचएआई का कुल कर्ज 3.35 लाख करोड़ रुपए

चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में एनएचएआई का कुल कर्ज 3.35 लाख करोड़ रुपए आंका गया था, जो वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के अंत में लगभग 2.76 लाख करोड़ रुपए था. वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में राजमार्ग विकासकर्ताओं के कर्ज को कम करने के लिए एनएचएआई के उधार लेने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

बजट की बड़ी बातें

- नई कर व्यवस्था के अन्तर्गत 12 लाख रुपए तक की आय (अर्थात विशिष्ट दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर एक लाख रुपए प्रतिमाह की औसत आय) पर कोई आयकर नहीं देना होगा.
- उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 34.96 लाख करोड़ रुपए तथा 50.65 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. निवल कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है.
- राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है. सकल बाजार कर्ज 14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान.
- वित्त वर्ष 2025-26 में पंजीगत व्यय 11.21 लाख करोड़ रुपए (जीडीपी का 3.1 फीसदी) रहने का अनुमान. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की शुरुआत होगी जिससे 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है.
- ग्रामीण समृद्धि व लचीला निर्माण' नामक एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा.
- तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के लिए छह वर्ष के लिए 'दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन' शुरू होगा। केंद्रीय एजेंसियां नेफेड और एनसीसीएफ अगले चार वर्षों के दौरान किसानों से ये दालें खरीदेंगी.
- सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम उत्पादन, प्रभावी आपूर्तियों, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा. बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा.
- राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू किया जाएगा जिसका उद्देश्य अनुसंधान परिवेश को मजबूत करना, लक्षित विकास और उच्च पैदावार वाले बीजों का प्रसार करना और बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना होगा.
- कपास की खेती की उत्पादकता और निरंतरता में पर्याप्त सुधार लाने के लिए पांच वर्षीय मिशन की घोषणा. किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख करने का प्रस्ताव.
- एमएसएमई के वर्गीकरण मानदंड में संशोधन. सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाकर क्रमशः 2.5 और दो गुना कर दी जाएगी.
- क्रेडिट कार्ड उद्यम मंच पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले वर्ष में पांच लाख रुपये तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे.
- स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष: विस्तारित कार्यक्षेत्र और 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ फंड्स ऑफ फंड की स्थापना की जाएगी.
- पहली बार व्यापार करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उद्यमियों के लिए अगले पांच वर्षों के दौरान दो करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराने की एक नई योजना की घोषणा.

FDI बढ़ने से ग्राहकों को मिलेंगे नए बीमा प्रोडक्ट और बेहतर सेवाएं

बजट 2025 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा की है. बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानि FDI की सीमा को बढ़ाकर 100% कर दिया है. 2021 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया था. 2015 में पेश हुए मोदी सरकार के पहले पूर्ण बजट में बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 26% है. हालांकि इस घोषणा के दायरे में वे बीमा कंपनियां आएंगी, जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करती हैं.बीमा के क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ने से इस क्षेत्र में अधिक वैश्विक बीमा कंपनियां आएंगी, जो नए और बेहतर ग्राहक केंद्रित उत्पाद पेश करेंगी. बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ने का सीधा फायदा ग्राहकों को भी होगा. ग्राहकों की बीमा लागत भी घटेगी. वित्त मंत्री की यह घोषणा सरकार के 2047 तक 'सभी के लिए बीमा' के लक्ष्य को भी मजबूत बनाएगा.

नई कंपनियां आने से समाज के निचले तबके को भी बीमा के दायरे में लाया जा सकेगा. अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना में भारत में बीमा पैठ अभी भी सबसे कम है. बता दें कि पिछले साल सिर्फ सेवा क्षेत्र की बात करें तो इसमें बीमा क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ था. बजट के बाद बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने से देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है. बीमा के क्षेत्र में एफडीआई आने से विदेशी कंपनियां सीधे भारत आ सकेंगी, उन्हें किसी भारतीय बीमा कंपनी के साझेदारी करने की जरूरत नहीं होगी. इस बदलाव के बाद भारत में मौजूदा बीमा कंपनियों में साझेदारी के ढ़ांचे में बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

जल्द 'मेड इन इंडिया' खिलौनों से खेलेंगे दुनिया भर के बच्चे

चीन को टक्कर देने के लिए हुई घोषणा

खिलौने भले ही आपके बच्चों के खेलने की चीज हों, लेकिन देश के आयात में इनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. भारत हर साल 6 करोड़ डॉलर से अधिक के खिलौनों का आयात करता है. ऐसे में सरकार ने बजट में आयात के बोझ को कम करने और देश को खिलौना निर्माण का केंद्र बनाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है. वित्त वर्ष 2025 के बजट में सरकार ने खिलौना क्लस्टर के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की घोषणा की है.

दुनिया भर में मिलेंगे मेड इन इंडिया खिलौने

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि यह योजना क्लस्टर, कौशल और उत्पादन से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी. इसके साथ सरकार की कोशिश है कि भारत में उच्च गुणवत्ता वाले, नए प्रकार के और टिकाऊ खिलौने तैयार हों. इसके साथ ही सरकार 'मेड इन इंडिया' ब्रांड को दुनिया भर में प्रचारित करेगी. वित्त मंत्री ने आज पेश बजट में कहा कि खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का निर्माण करते हुए, हम भारत को खिलौनों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए एक योजना शुरू करेंगे.

- भारत को खिलौना केंद्र बनाने के लिए घोषणा
- 65 फीसदी से ज्यादा खिलौने चीन से आयातित
- घटिया खिलौनों का आयात रोकने के लिए उठाए कदम

चीन पर निर्भरता घटाने की कोशिश

खिलौना उत्पादों की वैश्विक मांग में समग्र गिरावट के कारण भारत का खिलौना निर्यात 2021-22 में 17.7 करोड़ अमरीकी डॉलर से घटकर 2023-24 में 15.2 करोड़ अमरीकी डॉलर रह गया.

36 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने का प्रस्ताव, इन लोगों को होगा फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कई बड़े ऐलान किए है. उनमें से एक उन लोगों के लिए है जो दुर्लभ और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे है. वित्त मंत्री ने कैंसर, दुर्लभ रोगों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 36 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है. सरकार ने पहले त्रास्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और दुरवालुमैब पर कस्टम ड्यूटी को 10 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया था. वित्त मंत्री ने कहा कि रोगियों को, विशेष रूप से कैंसर, दुर्लभ रोगों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को राहत देने के लिए, मैं 36 जीवनरक्षक दवाओं और दवाइयों को बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) से पूरी तरह से मुक्त करने का प्रस्ताव करती हूं.

- दुर्लभ और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को बजट में राहत देने का प्रस्ताव
- 36 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रस्ताव
- 6 जीवनरक्षक दवाओं को रियायती सूची में जोड़ने का प्रस्ताव
- 36 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी समाप्त करने का प्रस्ताव, इन लोगों को होगा फायदा

6 जीवनरक्षक दवाओं को रियायती सूची में जोड़ने का प्रस्ताव

वित्त मंत्री ने यह भी प्रस्तावित किया कि छह जीवनरक्षक दवाओं को 5 फीसदी की रियायती कस्टम ड्यूटी की सूची में जोड़ा जाए. पूरी छूट और रियायती ड्यूटी संबंधित बल्क दवाओं पर भी लागू होगी, जो ऊपर दी गई दवाओं के निर्माण के लिए होंगी. निर्मला सीतारमण ने कहा कि फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा चलाए गए रोगी सहायता कार्यक्रमों के तहत विशिष्ट दवाएं, बशर्ते वे मरीजों को मुफ्त में आपूर्ति की जाती हैं, BCD से पूरी तरह से मुक्त होती हैं. उन्होंने कहा कि मैं 37 और दवाओं को और साथ ही 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों को जोड़ने का प्रस्ताव करती हूं.

क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा?

सस्ता

40,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा कीमत वाली आयातित कारें या 3,000 सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता वाली आयातित मोटरसाइकिलें

1600 सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता वाली पूरी तरह से तैयार (सीबीयू) इकाई के रूप में आयातित मोटरसाइकिलें

सेमी-नॉक्ड डाउन (एसकेडी) या काफी हद तक निर्मित रूप में आयातित 1600 सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें

इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के पुर्जे

खाद्य और पेय उद्योगों में इस्तेमाल होने वाला कृत्रिम स्वाद अर्क और मिश्रण

महंगा

स्मार्ट मीटर

सोलर सेल

आयातित जूते

आयातित मोमबत्तियां

आयातित नौकाएं और अन्य जहाज

पीवीसी फ्लेक्स फिल्में, पीवीसी फ्लेक्स शीट, पीवीसी फ्लेक्स बैनर

कुछ आयातित बुने हुए कपड़े

इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो पूरी तरह से निर्मित इकाइयों के रूप में आयात किए जाते हैं

AMAR UJALA
BONUS

You Deserve More

पैसे से जुड़ी हर खबर के अपडेट के लिए जुड़िए

https://www.thebonus.in

@AUTheBonus